उत्तर प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3
संख्या– 1687/60–3–2015–13(11)/2014टीसी–2
लखनऊः: दिनांक 30 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष (तृतीय संशोधन) नियमावली–2015 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–1(2) तथा संलग्नक–1–क–पीड़िताओं के लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति के प्रावधान– की तालिका के क0सं0–1 के स्तम्भ–5 खण्ड–2 के स्थान पर नीचे स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

	स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
	विद्यमान नियम	एतदद्वारा संशोधित नियम
नियम–1(2) का संशोधन	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। परन्तु, एसिड अटैक के प्रकरणों में पीड़िताओं को चिकित्सीय और आर्थिक सहायता दिये जाने के लिये राज्य सरकार ऐसी पूर्वगामी तिथि नियत कर सकती है, जिस तिथि से यह नियमावली प्रवृत्त होगी।	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। परन्तु, यह कि पूर्व के एसिड अटैक के प्रकरणों में पीड़िताओं को पृथक–पृथक गुण–दोष के आधार पर परीक्षणोंपरान्त चिकित्सीय एवं आर्थिक सहायता दिये जाने के लिये यह नियमावली पूर्वगामी प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
संलग्नक–1–क–पीड़िताओं के लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति के प्रावधान– की तालिका के	स्तम्भ–5 खण्ड–2 रू–5,00,000.00 (रू0 पाँच लाख मात्र) (चेहरे के ऊपर 02 प्रतिशत और	स्तम्भ–5 खण्ड–2 रू–5,00,000.00 (रू0 पाँच लाख मात्र) (चेहरे के ऊपर 02 प्रतिशत और

desktop

क0सं0–1 का संशोधन	उससे अधिक जलने के साथ चेहरे के विकृत होने की दशा में अथवा नाक और मुख, कान, आँख के कार्य बाधित होने की दशा में अथवा 30 प्रतिशत से अधिक जलने की दशा में)	उससे अधिक जलने के साथ चेहरे के विकृत होने की दशा में अथवा नाक, मुख, कान, आँख या शरीर के किसी अन्य भाग के कार्य बाधित होने की दशा में अथवा शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक जलने की दशा में)

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

desktop